

कार्यालय जिला अन्त्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित खण्डवा
वर्ष 2010-11 में संचालित योजनाओं की प्रगति दिनांक 31/3/11 तक

क्र	योजना का नाम	प्राप्त आवंटन	लक्ष्य	उपलब्धि				वापस प्रकरण	लंबित प्रकरण	रिमार्क
				प्रेषित प्रकरण	स्वीकृत प्रकरण	स्वीकृत ऋण	स्वीकृत अनुदान			
1	अंत्योदय स्वरोजगार योजना	31.50	350	330	166	58.45	16.60	108	56	-
2	कपिलधारा	15.00	80	190	81	35.90	8.10	98	11	-

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की योजनाएँ

1	माइक्रोक्रेडिट (0.30)	12.50	7	5	4	10.00	4.00	-	1	4 बहन निवेदिता स्व सहायता समूह विकास योजना
---	-----------------------	-------	---	---	---	-------	------	---	---	--

म.प्र. शासन की अभिनव योजनाएँ

1	डॉ.अम्बेडकर प्रशिक्षण याजना	2.40	-	-	2.40	-	-	-	-	120 हित. को प्रशि.दिया
---	-----------------------------	------	---	---	------	---	---	---	---	------------------------

वसूली की जानकारी

2	वसूली	36.00 लाख के विरुद्ध माह मार्च 11 तक रु. 21.18 लाख की वसूली की गई जो लक्ष्य का 58.84 प्रतिशत है।								
---	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

आर.डी. फ्रेंकलिन
कार्यपालन अधिकारी
जिला अन्त्यावसायी सहकारी विकास
समिति मर्यादित खण्डवा

कार्यालय जिला अन्त्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित खण्डवा
वर्ष 2011-12 में संचालित योजनाओं की प्रगति दिनांक 30/6/11 की स्थिति में

क्र	योजना का नाम	प्राप्त आवंटन	लक्ष्य	उपलब्धि				वापस प्रकरण	लंबित प्रकरण	रिमार्क
				प्रेषित प्रकरण	स्वीकृत प्रकरण	स्वीकृत ऋण	स्वीकृत अनुदान			
1	अंत्योदय स्वरोजगार योजना	10.25	205	158	2	1.00	0.20	-	156	—
2	कपिलधारा	गतवर्ष 6.90	100	44	2	1.00	0.20	-	42	—

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम की योजनाएँ

1	बैंड पार्टी	—	2	प्रेसनोट जारी कर दि. 2/7/11 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये जा चुके हैं। चयन प्रक्रिया जारी है।	—
2	इंटरनेट केफे	—	2		—
3	टेंट हाउस	—	2		—
4	माइक्रोक्रेडिट	—	20		—
5	महिला समृद्धि	—	20		—

म.प्र. शासन की अभिनव योजनाएँ

1	बहन निवेदिता स्व. सहायता समूह	—	6	प्रेसनोट जारी कर दि. 2/7/11 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये जा चुके हैं। चयन प्रक्रिया जारी है।	—
2	दीन दयाल मार्केट	—	15		—
3	संत रविदास सह कार्यशाला यो.	—	15		—
4	डॉ.अम्बेडकर प्रशिक्षण याजना	2.00	—	—	प्रक्रिया जारी है
5	अंत्योदय मार्केटिंग प्रोत्साहन यो.	—	—	—	—

आर.डी. फ्रेंकलिन
कार्यपालन अधिकारी
जिला अन्त्यावसायी सहकारी विकास
समिति मर्यादित खण्डवा

कार्यालय जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्या, जिला-खंडवा (म.प्र.)

फोन 0733-2222346

<p>1 अंत्योदय स्वरोजगार योजना की आहताएँ एवं पात्रता</p> <ul style="list-style-type: none">• आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के मध्य हो.• आवेदक जिले का मूल निवासी हो.,• आवेदक का राशनकार्ड एवं तीन फोटो पासपोर्ट साईज.• आवेदक की वार्षिक आय अधिकतम शहरी क्षेत्र में रु. 27,500/- व ग्रामीण क्षेत्रों में रु. 20,000/- से अधिक नहीं हो.• जाति,आय एवं मूल निवासी प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त हो.• आवेदक पूर्व में किसी भी शासकीय योजनाओं में ऋण / अनुदान का लाभ न लिया हो इसका शपथ-पत्र देय होगा.• ऋण सीमा इकाई लागत अनुसार अनुदान की सीमा 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम रु. 10,000/- हजार. <p>2 कपिल धारा योजना की आहताएँ एवं पात्रता</p> <ul style="list-style-type: none">• आवेदक जिले का मूल निवासी हो.• आवेदक की आयु 18 से अधिक हो । उम्र का बंधन नहीं है।• आवेदक का गरीबी रेखा के नीचे (बी.पी.एल.) के परिवार का हो• बी 1 खसरा, बी.पी.एल. कार्ड, सी.ई.ओ. जनपद पंचायत द्वारा जल की उपलब्धता का प्रमाण पत्र हो.• डीजल पंप / विद्युत पंप एवं पाईप लाईन हेतु अधिकतम ऋण राशि रु. 50,000/- हजार एवं अनुदान की पात्रता अधिकतम 10,000/- मात्र. <p>—: अभिनव योजनाओं की संक्षिप्त जानकारी :-</p> <p>3. संत रविदास आवास सह कार्यशाला योजना :- संत रविदास आवास सह कार्यशाला योजना में अनुसूचित जाति के बेरोजगार युवको को उपयुक्त आवास एवं कार्यशाला स्थापित करने के लिए 2.00 लाख रु0 विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से ऋण दिलाया जावेगा, जिसमें अधिकतम रु0 50,000 /- अनुदान की पात्रता रहेगी। जिससे व्यक्तियों को लघु कुटीर व्यवसाय स्थापित करने के लिये उपयुक्त स्थल प्राप्त होगा, आवास एवं व्यवसाय स्थल की समस्या का समाधान भी होगा।</p>	<p>पात्रता :- इस योजना में अनुसूचित जाति वर्ग का म.प्र. का मूल निवासी जिसकी उम्र 18 से 50 वर्ष एवं आवास कम कार्यशाला निर्माण के लिये स्वयं की भूमि अथवा स्थाई पट्टा हो, पात्रता रखेगे।</p> <p>4. दीनदयाल मार्केट विकास योजना :- दीनदयाल मार्केट विकास योजना में ग्रामीण क्षेत्रों, नेशनल हाईवे एवं विकासशील पंचायतों में 10 10 की छोटी दुकानों का निर्माण कर अनुसूचित जाति को उपयुक्त व्यापारिक स्थल उपलब्ध कराया जायेगा। जिससे स्वरोजगार के सफलता की अच्छी संभावना बनें। निर्मित दुकानें हितग्राहियों को प्रति दुकान लागत 50 हजार निर्धारित है। 50% अथवा अधिकतम रु0 25,000 /- अनुदान देय होगा। अनुसूचित जाति की महिला उद्यमियों को प्राथमिकता होगी।</p> <p>पात्रता :- इस योजना में अनुसूचित जाति वर्ग का म.प्र. का मूल निवासी जिसकी उम्र 18 से 55 वर्ष एवं कम से कम 8 वीं पास और निगम की प्रचलित योजनाओं में ऋण की पात्रता रखता हो।</p> <p>1. बहन निवेदिता स्वसहायता समुह विकास योजना:- बहन निवेदिता स्वसहायता समुह विकास योजना में अनुसूचित जाति एवं सफाई कामगार, विधवा,विकलांग एवं परित्याकता महिलाओं के स्व सहायता समूह गठित कर उन्हें राष्ट्रीय निगमों की महिला समृद्धि योजनाओं एवं अन्य प्रचलित योजनाओं के अन्तर्गत 10 महिलाओं के समूह को प्रति हितग्राही रु0 30,000/- का ऋण अधिकतम जिसमे रु0 10,000/- अनुदान की पात्रता रहेगी । उन्हें वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर आत्मनिर्भर बनाया जायेगा । इस योजना में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति वर्ग की महिला समूह को योजना प्रशिक्षण देकर समूह की परियोजना अनुसार वित्त एवं मार्केटिंग सुविधा भी उपलब्ध कराई जायेगी।</p> <p>पात्रता :- अनुसूचित जाति एवं सफाई कामगार वर्ग की महिलाएं पात्र हो.</p> <p>विस्तृत जानकारी हेतु कार्यालय में संपर्क करें।</p> <p>कार्यालय जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्या, खण्डवा जिला व्यापार एवं उद्योग परिसर जिला-खंडवा (म.प्र.) फोन 0733.2222346</p>
--	--

कार्यालय जिला अन्त्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित खण्डवा
अधिकारी / कर्मचारियों की सूची वर्ष 2011-12

क्र.	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	पदनाम
1	श्री आर.डी. फ्रेंकलिन	(कार्यपालन अधिकारी)
2	श्री पी.के. वाजपेयी	(क्षेत्राधिकारी)
3	श्री प्रेम कुमार जगताप	(सहा. ग्रेड 3)
4	श्री जे.पी. सोनी	(सहा. ग्रेड 3)
5	श्री टी.आर.खाटरिया	(भृत्य)
6	श्रीमती रूखमणी बाई सोनी	(भृत्या)